

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौदह'

सूची संख्या [19/7/2017]

कार्यालय अधीक्षक बृहन्महानगर 108801 पन्ना मध्यप्रदेश
गजरा टोला से राजस्व ग्राम बनाये जाने की प्रगति

क्र०	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मूल ग्राम का नाम	मूल ग्राम से निर्मित गजरा टोले का नाम
1	2	3	4
1	59, युनौर	शिलगी	ककरस ✓
2		जिगदहा	जिगदही ✓
3		जगुनहाईकला	बरबुआ ✓
4		राजापुर	दीबनटोला ✓
5		शिलराय	मझगवा ✓
6		कचनारा	जोधनटोला ✓
7		धरवारा	गमपुर ✓
8		पाटशिमरिया	तालगांव ✓
9		बिल्हा	हुनुगतपुरा ✓
10		बधीरा	पथरस ✓
11		बिलघाडी	लखनपुर - नौराही ✓
12		गुडवारी	जयपालनगर ✓ मोटेकीगडैवन - मोहनकीगडैवन - गई -
13		सुभरहा	कमलपुरा ✗
14		सिदुनहाई	सादपुरा -
15		असवंतपुरा	दिधरा ✓
16		तारा	शंकरपुरा ✓
17		रेगुवा	गोईपुरा ✓
18		कोट	बिलहाई ✓
19		सिरी	ताका ✓
20		बहौरी	गडैवन ✓
21		टोराह	पुरवा ✓

21

25

अधीक्षक नू. अमिलस
जिला पन्ना 48500

क्रमांक 1195/11भू.प्र./म.वि.शा./स.टो./2012

ग्यालियर दिनांक 14.4.2012

प्रति,

आधार क्र-1083

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्ट्रेट जिल्हा **खमरुत**
(म.प्र.)

विषय- मानवीय मुकामजो जी की घोषणा इ. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वाकत ।

- संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 शेषाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भू.प्र./म.वि.शा./स.टो./2012 ग्यालियर दिनांक 16.4.2012.

अर्थात् विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्यालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व उद्दिता के विहित प्रावधानों के अनुकूलन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हें राजस्व ग्राम में परिचित किया जा सकता है ।

- (अ) अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नलिखित मापदण्ड बनाये जायें :-
मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों का दूरी लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये ।
- (ग) पट्टा बन्नाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पट्टा हुए उक्त ग्राम की उत्पत्ती 200 या अधिक होनी चाहिये ।
- (स) प्रभक्त बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमायों के अन्दर ही स्थित न रहे ।

अतः उपरोक्त मापदण्डों एवं म.प्र.भू.राजस्व संविदा में विहित प्रावधानों को हथगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर लें, एवं सूचित किये जा रहे, वहीन राजस्व ग्रामों के आवधिकों की प्रति, के साथ, शीघ्रतयापूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र, सुस्पष्ट हों, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने धर्मेत आदेशित किया जाता है ।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

प्रतिलिपि-

उत्तरा 11683

- 1- कलेक्टर जिला **समस्त** म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित करते हुए लेख है कि अधीनस्थ को विषयकित जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।
- 2- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला **समस्त** म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राशि

संयुक्त आयुक्त

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

मध्य प्रदेश